न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O) नागौर

बइजलास–सुनील कुमार (आर.ए.एस.)

वाद अधीन धारा 88,,89,53,183,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं. 37/2021

वादीगण	प्रतिवादीगण
विजय कुमार वगै0 की ओर से जरिये आमुख्त्यार श्री सत्यनारायण भाटी, पुत्र हरिराम भाटी जाति भाटी, निवासी मूण्डवा, हाल निवासी म0नं0 640 फिलखाना, प्रेम प्लाजा, बेगम बाजार हैदराबाद, (तेलंगाना)	तहसीलदार नागौर वगै0

वकील वादीगण
श्री दिनेश हेडा,
श्री श्रवण बिड़ियासर

वकील प्रतिवादीगण
श्री मधुर सिखवाल,

प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

::आदेश::

दिनांक :–12.04.2024

उपरोक्त अनवान में प्रतिवादो संख्या 02 से 14 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री मधुर सिखवाल ने आवेदन पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया कि :–

1. वादीगण ने जरिये आम मुख्तियार श्री सत्यनारायण भाटी पुत्र श्री हरीराम भाटी जाति माली निवासी मूण्डवा तहसील मूण्डवा हाल निवासी मकान नं 640 फिलखाना, प्रेम प्लाजा बेगम बाजार, हैदराबाद (तेलंगाना) वाले के जरिये एक वाद धारा 88.89.53,183,188,209 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के अंतर्गत खातेदारी घोषणा बंटवारा, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का वाके मौजा नागौर तहसील नागौर खसरा नम्बर 111,113,117 जिसके नये खसरा नम्बर 215,216 व 217 दर्ज करते हुए खातेदारी की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई जबकि पूर्व में भी इसी आम मुख्यितयार श्री सत्यनारायण भाटी पुत्र श्री हरीराम भाटी जाति माली द्वारा एक अन्य वाद व प्रार्थना पत्र गोपाल बनाम मोहनलाल 223/19 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 15.09.2020 को जरिये नोट प्रेस के खारीज हुआ तथा इसी आम मुख्तियार श्री सत्यनारायण भाटी पुत्र श्री हरीराम भाटी जाति माली द्वारा एक अन्य वाद 69/2020 पेश किया गया था जो दिनांक 24.05.2022 को जरिये अदम पैरवी अदम हाजरी में न्यायालय द्वारा खारीज किया गया था, इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 02 से 14 के खातेदारी व कब्जाकाश्त की उपरोक्त भुमि के संबंध में एक अन्य वाद गोपाल बनाम मोहनलाल जो दिनांक 29.07.2019 को अदम पैरवी में खारीज किया गया था. इस प्रकार उक्त भुमि जो प्रतिवादी संख्या 02 से 14 की पुस्तैनी, कब्जा काश्त व स्वामित्व की भूमि रही थी व है जिस पर मात्र प्रतिवादी सख्या 02 से 14 को तंग व परेशान करने की नियत से आम मुख्तियार श्री सत्यनारायण भाटी पुत्र श्री हरीराम भाटी जाति माली द्वारा बार बार अलग

अलग पक्षकारों के मार्फत बिना किसी हक व अधिकार के गलत रूप से दावा तथा राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है, जिसकी जानकारी शुरू से ही वादीगण/प्रार्थीगण व आम मुख्तियार श्री सत्यनारायण भाटी पुत्र श्री हरीराम भाटी जाति माली को रही थी व है फिर भी जानबुझकर पूर्ववर्ती वादों/प्रार्थना पत्रों को छिपाते हुए मात्र प्रतिवादी संख्या 02 से 14 को तंग परेशान करने तथा उनसे ईष्या तथा द्वेषता रखते हुए मेलाफाईड इंटेशन से अलग अलग समयों में दावे तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है जिनकी जानकारी वादीगण व आम मुख्तियार श्री सत्यनारायण भाटी पुत्र श्री हरीराम भाटी जाति माली का शुरू से रही है तथा इस कारण उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पश्चातवति वाद तथा प्रार्थना पत्र है तथा बिना किसी अधिकार के गलत रूप से गलत मंशुबों को अंजाम देने के लिये उक्त पश्चातवृति वाद तथा प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किये है। जिसके संदर्भ में पूर्ववृति वादों तथा प्रार्थना पत्रों को छुपाते हुए न्यायालय को गुमराह करने तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 14 को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से उक्त दावा तथा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिले खारीज किये जाने योग्य है।

2. उपरोक्त खसरान जो प्रतिवादी संख्या 02 से 14 के कब्जा कास्त खातेदारी के पुस्तैनी खसरान है जिन पर कुछ भुमि पर आवासीय पटटे भी नगर परिषद नागौर द्वारा जारी हो रखे है, इस प्रकार उक्त भुमि का कुछ हिस्सा आवासीय प्रयोजन में रूपांतरित हो चुका है इस कारण श्रीमान को उक्त वाद तथा प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, इस कारण भी उक्त वाद खारीज किये जाने योग्य है।
3. उक्त वाद पत्र में किसी प्रकार का वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है तथा ना ही किसी प्रकार का कोई वाद हेतुक बनता है इस कारण भी उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है।
4. इस प्रकार तमाम तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए तथा मौके की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तथा पूर्ववृति दावों तथा पटटो को देखते हुए उक्त वाद तथा प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारीज किया जाना उचित व न्यायसंगत है क्योंकि इस प्रकार के वाद पूर्ण रूप से विधि द्वारा वर्जित है।

अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त वाद तथा उसके साथ पेश प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर मय कोस्ट के खारीज फरमाने के आदेश प्रदान करावें

वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 14 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. का जवाब पेश किया कि –

1. प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार वर्णित किये हैं, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के द्वारा गोपाल बनाम मोहनलाल 223/2019 को दिनांक 15.09.2020 जरिये नोट प्रेष में खारिज करने के तथ्य का जवाब इस प्रकार है कि उपरोक्त तथ्य रेकर्ड से संबंधित हैं जिसे प्रतिवादी स्वयं साबित करे, इसके अलावा अन्य वाद संख्या 69/2020 दिनांक 24.05.22 को अदम पैरवी, अदम हाजिरी में खारिज होने के तथ्य भी गलत वर्णित किये हैं, अन्य वाद गोपाल बनाम मोहनलाल दिनांक 29.07.2019 को अदम पैरवी में खारिज करने के तथ्य प्रतिवादी स्वयं साबित करे। इस पैरा में यह गलत वर्णित किया हैं कि वादी के द्वारा पूर्ववर्ती वाद के तथ्यो को छिपाते हुए

पश्चातवर्ती उक्त वाद प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने की नियत से पेश किया गया हैं।

2. प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार ह।
4. प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है।
5. प्रतिवादी के द्वारा उपरोक्त आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 11 व 151 रूप से एकल पेश की है। जबकि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान भिन्न हैं एवं धारा 11 सीपीसी के प्रावधान भिन्न है। धारा 151 सीपीसी के प्रावधान तभी लागू होते है जब अन्य कोई प्रावधान सीपीसी में नहीं हो, एक तरफ तो प्रतिवादी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताया हैं दूसरी तरफ धारा 11 सीपीसी का हवाला दिया है एवं स्वयं अपने प्रार्थना पत्र को धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत करना बता रहा हैं, इस प्रकार प्रतिवादीगण को अभी तक इन तथ्यो की जानकारी नही है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन किस प्रावधान के तहत आवरित होना हैं, विधि अनुसार उपरोक्त तीनो विरोधाभाषी प्रावधानो के तहत प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है।
6. वादी के द्वारा उक्त वाद घोषणा खातेदारी व अन्य अनुतोष के लिए पेश किया हैं, जिसके लिए कोई परिसीमा काश्तकारी अधिनियम में प्रावधानित नही है, इसलिए वादी का वाद किसी भी प्रकार से विधि द्वारा वर्जित नही हैं एवं वादी के द्वारा जिन वादग्रस्त खेताय के संबंध में अनुतोष की मांग की हैं, उनके संबंध में पूर्ववर्ती किसी भी वाद के जरिये पक्षकारो का अंतिम न्याय निर्णयन अभी तक नही हुआ है तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के द्वारा अधूरे तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत उक्त आवेदन पोषणीय नही है।
7. प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब समय पर प्रस्तुत नही किये जाने के कारण माननीय न्यायालय के द्वारा जवाब दावा बंद कर दिया गया है, प्रतिवादीगण येन केन प्रकारेण उक्त प्रकरण में विलम्ब कारित करना चाहते हैं, जिससे केवलमात्र प्रकरण को लम्बा करने की नियत से उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है। जो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।
8. प्रतिवादी के द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत उक्त आवेदन पेश किया हैं, जबकि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के लिए प्रतिवादीगण को इस प्रकार से आवेदन पेश करने का कोई अधिकार नही है। उपरोक्त प्रावधान के लिए वादं पत्र ही महत्वपूण दस्तावेज हैं, इसलिए उक्त आवेदन को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन अधीन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी वकील ने दौराने बहस कथन किया कि वादीगण ने वाद जरिये आममुख्त्यार पेश किया हैं, जबकि पत्रावली में इस बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। पूर्व में भी इसी आम मुख्यितयार श्री सत्यनारायण भाटी पुत्र श्री हरीराम भाटी जाति माली द्वारा एक प्रार्थना गोपाल बनाम मोहनलाल 223/19 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 15.09.2020 को जरिये नोट प्रेस के खारीज हुआ तथा इसी आम मुख्तियार श्री सत्यनारायण भाटी पुत्र श्री हरीराम भाटी जाति माली द्वारा एक अन्य वाद 69/2020 पेश किया जो दिनांक 24.05.2022 को जरिये अदम पैरवी अदम हाजरी में न्यायालय द्वारा खारीज किया गया था, इसी प्रकार प्रतिवादीगण

संख्या 02 से 14 के खातेदारी व कब्जाकाश्त की उपरोक्त भुमि के संबंध में एक अन्य वाद गोपाल बनाम मोहनलाल जो दिनांक 29.07.2019 को अदम पैरवी में खारीज किया गया था। वर्तमान में उक्त भूमि नगरपरिषद की भूमि हैं, जिस पर पट्टे जारी किये जा चुके हैं, इसलिए प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं है। अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2019 (2) पृष्ठ 1524 से 1526, आरआरटी 2019 (1) पृष्ठ 268 से 271, आरआरटी 2019 (2) पृष्ठ 1176 से 1189, आरआरटी 2013 (2) पृष्ठ 808 से 811, आरआरटी 2018 (1) पृष्ठ 265 से 268 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान इंगित करवाया कि उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा होते हैं। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

वकील वादीगण ने दौराने बहस कथन किया प्रतिवादगण ने तीन धाराओं में एक साथ आवेदन पेश किया हैं, जो पोषणीय नहीं हैं। धारा 11 अन्तिम निर्णय होने के बाद लागू होता हैं। अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2018 (1) पृष्ठ 150 से 152, आरआरटी 2018 (2) पृष्ठ 1329 से 1332, आरआरटी 2019 (2) पृष्ठ 1045 से 1050 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया, बहस वकुलाय पर मनन किया। उभय पक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2019 (1) पृष्ठ 268 से 271 में यह उल्लेखित हैं कि वादी खातेदार काश्तकार नहीं है, इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में स्वीकार किया हैं कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 2 से 14 का हैं। वकील प्रतिवादीगण द्वारा इसके अलावा भी अन्य जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये हैं, जो इस वाद में चस्पा होते हैं।

अतः वकील प्रतिवादीगण संख्या 2 से 14 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का उचित प्रतीत होने स्वीकार किया जाता हैं। वादीगण का वाद प्रस्तुत दृष्टान्तों के आधार पर खारिज किया जाता हैं। इसी अनुसार खारिज का डिक्री पर्चा जारी हो।

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश आज दिनांक 12.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर